

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार (कटिहार को छोड़कर)।

पटना दिनांक: 22.04.2020

विषय: विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 17.04.2020 के आलोक में कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प-4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 17.04.2020 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों के लिए ₹7,42,50,000.00 (सात करोड़ बयालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र तथा लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के लिए ₹6,26,80,000.00 (छह करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

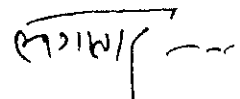
2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में तकनीकी सहायकों तथा लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹13,69,30,000.00 (तेरह करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:-

क्र०	जिला का नाम	तकनीकी सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु आवंटित राशि	कुल आवंटन (3+4)
1	2	3	4	5
1	Araria	2484000.00	2160000.00	4644000.00
2	Arwal	702000.00	600000.00	1302000.00
3	Aurangabad	1998000.00	1960000.00	3958000.00
4	Banka	1620000.00	1800000.00	3420000.00
5	Begusarai	2700000.00	2160000.00	4860000.00
6	Bhagalpur	3024000.00	2160000.00	5184000.00
7	Bhojpur	2538000.00	1920000.00	4458000.00
8	Buxar	1620000.00	1240000.00	2860000.00

9	Darbhanga	4050000.00	3240000.00	7290000.00
10	E. Champaran	3564000.00	2880000.00	6444000.00
11	Gaya	2970000.00	2800000.00	5770000.00
12	Gopalganj	1026000.00	720000.00	1746000.00
13	Jahanabad	432000.00	800000.00	1232000.00
14	Jamui	1620000.00	1240000.00	2860000.00
15	Kaimur	1350000.00	1280000.00	2630000.00
16	Khagaria	1674000.00	1000000.00	2674000.00
17	Kishanganj	1674000.00	1240000.00	2914000.00
18	Lakhisarai	594000.00	720000.00	1314000.00
19	Madhepura	1944000.00	1120000.00	3064000.00
20	Madhubani	3888000.00	2800000.00	6688000.00
21	Munger	918000.00	800000.00	1718000.00
22	Muzaffarpur	2214000.00	2960000.00	5174000.00
23	Nalanda	2430000.00	2160000.00	4590000.00
24	Nawada	1998000.00	1080000.00	3078000.00
25	Patna	2592000.00	2680000.00	5272000.00
26	Purnea	1998000.00	1880000.00	3878000.00
27	Rohtas	2376000.00	2200000.00	4576000.00
28	Saharsa	432000.00	960000.00	1392000.00
29	Samastipur	2862000.00	2240000.00	5102000.00
30	Saran	3024000.00	1880000.00	4904000.00
31	Sheikhpura	378000.00	480000.00	858000.00
32	Sheohar	648000.00	440000.00	1088000.00
33	Sitahmarhi	2808000.00	2120000.00	4928000.00
34	Siwan	2808000.00	2640000.00	5448000.00
35	Supaul	1512000.00	920000.00	2432000.00
36	Vaishali	1080000.00	1080000.00	2160000.00
37	W. Champaran	2700000.00	2320000.00	5020000.00
Total :-		74250000.00	62680000.00	136930000.00

3. इस आवंटित राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय शीर्ष-0113.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण" से वित्तीय वर्ष 2020-21 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। वे **Head Of Account (विपत्र कोड) 16-2515001980113** को अपने **CFMS Office** में **Map** कर लेंगे ताकि **CFMS** द्वारा भी उक्त राशि को यथाशीघ्र आवंटित की जा सके।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजनु

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/09.03.17 पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा-03, 06(लेखा) एवं 05 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांक) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/राज्य स्कीम-02-13/2017/09.03.17 पं०रा० पटना, दिनांक 22.04.2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी